जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/16 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 5 जुलाई 2022

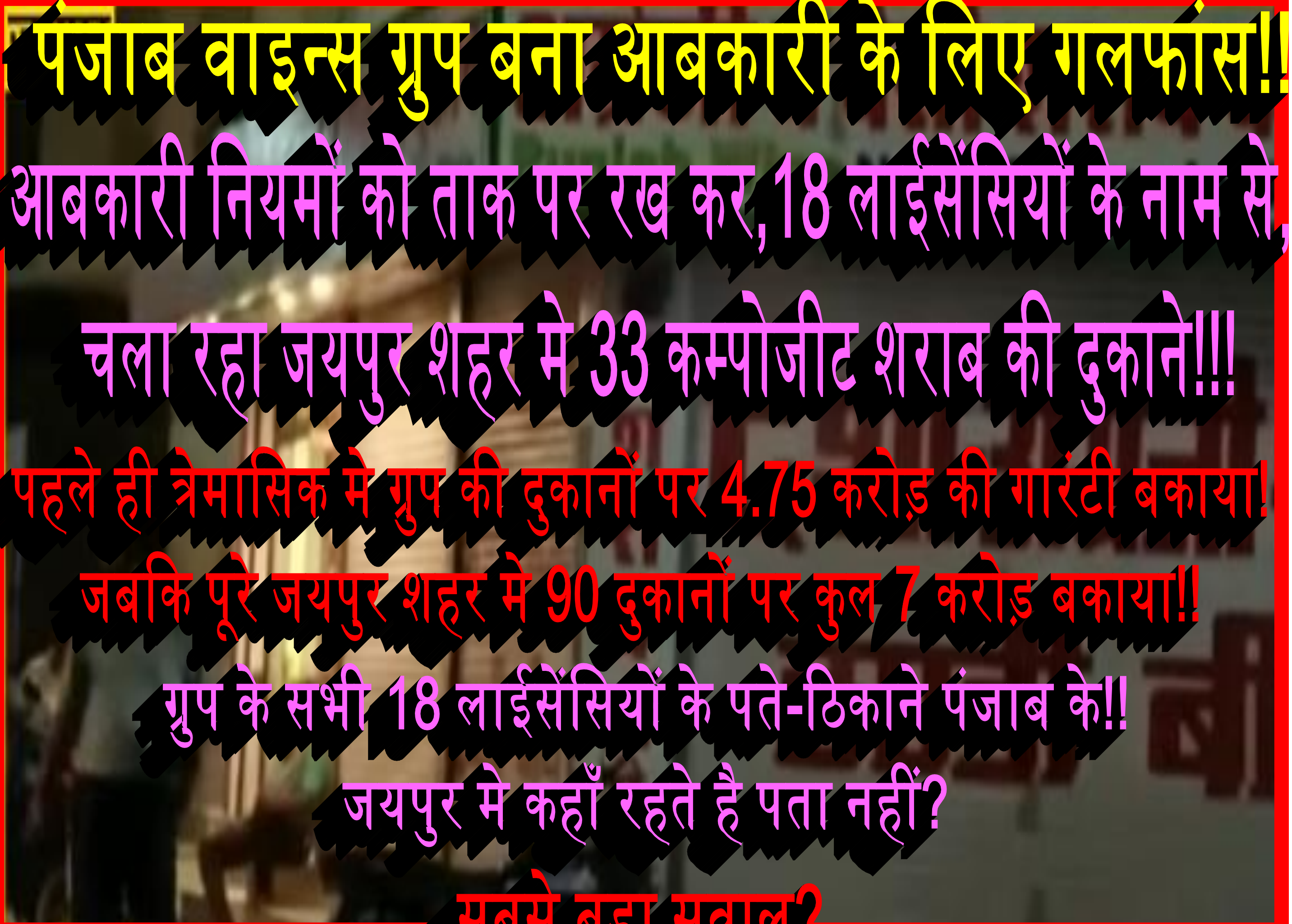

पंजाब वाइन्स ग्रुप बना आबकारी के लिए गलफांस!!

आबकारी नियमों को ताक पर रख कर,18 लाईसेंसियों के नाम से,

चला रहा जयपुर शहर मे 33 कम्पोजीट शराब की दुकाने!!!

पहले ही त्रैमासिक मे ग्रुप की दुकानों पर 4.75 करोड़ की गारंटी बकाया!

जबकि पूरे जयपुर शहर मे 90 दुकानों पर कुल 7 करोड़ बकाया!!

ग्रुप के सभी 18 लाईसेंसियों के पते-ठिकाने पंजाब के!!

जयपुर मे कहाँ रहते है पता नहीं?

सबसे बड़ा सवाल?

डिफ़ाल्टर होने पर कैसे होगी इन लाईसेंसियों से बकाया की वसूली?

पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद विभाग के अधिकारियों ने साधी चुप्पी!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

पंजाब वाइन्स ग्रुप बना आबकारी के लिए गलफांस!!

विगत दो वर्षो से पंजाब से आए एक ग्रुप “पंजाब वाईन्स” द्वारा जयपुर शहर की कई शराब की दुकानों का संचालन किया जा रहा है,वर्तमान मे इस ग्रुप की 33 दुकाने भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम से लाइसेन्स जारी करवा कर जयपुर शहर मे आवंटित है|यह ग्रुप अब तक कई दुकानों को सरेंडर भी करवा चुका है,जिनके री -ऑक्शन करने से आबकारी विभाग को लाखो रुपयो के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है|इतना ही नहीं गत वर्ष भी इस ग्रुप की दुकानों पर गारंटी के कई करोड़ बकाया है,जिनकी वसूली मे विभाग को पसीने आए हुए है|लेकिन इसके बावजूद आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से यह ग्रुप अपनी मनमर्जी की शर्तों पर शराब की दुकाने चला रहा है|सूत्रो के अनुसार ग्रुप द्वारा जिन लाईसेंसियों के नाम से शराब की दुकानों के लाइसेन्स हासिल किए है,उनमे से अधिकांश के पतो/ आईडी प्रूफ/आधार इत्यादि का वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया गया है,जिससे इनके बिना राजस्व की भरपाई किए,भाग जाने से इनसे वसूली होना असंभव हो जाएगा|इतना ही नहीं इस ग्रुप के पंजाब से आए कई गुंडेनुमा व्यक्ति सेल्समेन के रूप मे इस ग्रुप की दुकानों पर शराब बेचते नजर आ जाते है|यह गुंडेनुमा सेल्समेन रात को 8 बजे बाद भी शराब बेचते नजर आ जाते है,जिसका खुलासा फ़र्स्ट इंडिया न्यूज चैनल द्वारा अपने एक स्टिंग मे भी किया गया है|लेकिन लगता है कि इस ग्रुप के रखुखात इतने तगड़े है कि आबकारी अधिकारियों द्वारा ना तो इस ग्रुप द्वारा पहुंचाई जा रही राजस्व की हानि की परवाह की जा रही है और ना ही इस ग्रुप द्वारा की जा रही अन्य अनियमितताओ की|भ्रष्ट आबकारी अधिकारियों से जब इस ग्रुप पर कार्यवाही की बात की जाती है तो वह ग्रुप द्वारा सभी 33 शराब की दुकाने सरेंडर करने का डर दिखा कर अपने आला अधिकारियों को डरा देते है|

First India

www.firstindia.co.in | https://firstindia.co.in/epapers/jaipur | twitter.com/thefirstindia | facebook.com/thefirstindia | instagram.com/thefirstindia

Group from Punjab is trying to develop wine culture in Jpr

In 3 back-to-back sting operations, excise rules were being violated in the city

Nirmal Tiwari

Jaipur: A liquor group from Punjab has tried to disturb the culture of capital, a tradition that is contrary to religious & social values, as well as venomous for younger generation. Liquor is being sold openly by this group here after 8:00 pm, due to which liquor culture is growing rapidly in capital.

In sting operation conducted on May 23 and 27, First India News had exposed the dark truth of liquor traders flouting rules, but department was seen avoiding action against guilty licensees and excise inspectors. Now once again our team conducted third sting operation on June 9 and 10, which also exposes a similar site.

A total of 404 shops are approved by Excise Department in Jaipur. Country and English liquor and beer are sold under composite arrangement at these liquor shops. According to rules of Excise Department, liquor shops can be opened only from 10 am to 8 pm. Question arises whether the liquor merchants are following excise rules and regulations and whether department is ensuring its compliance? The revelations were shocking!

People outside a wine shop. —FILE PHOTO

In the third sting operation, it was found that Excise Department was seen avoiding action against guilty licensees and excise inspectors

LIQUOR SHOPS OPENED HERE POST 8 PM & MRP HIGHER THAN FIXED RATE

On June 9 & June 10, a licensee Vinod Kumar Sethi at Thadi Market Agarwal Farm in Sanganer Circle sold liquor openly. At 8.55 pm, team bought bottle of Tuborg Classic beer at Rs 190, although it had MRP of Rs 165. Rules for rate & fixed timings were broken. Video of beer being sold from liquor shop after 8 pm & online payment receipt are available as evidence. Similar was case at Deepak Sharma's shop at Riddhi Siddhi, Gurpreet Singh's shop at DCM, & Sagar's shop at Bajri Mandi Road of Jaipur West Circle, shops opened between 8-11 pm.

EXCISE MINISTER PARSADI LAL MEENA MUST TAKE COGNISANCE

A liquor group from Punjab has started campaign of developing wine culture. It is tainting image of Pink City. Despite being in knowledge of Excise Inspectors, salesmen at all these shops were selling liquor fearlessly from 8:00 pm till late at night & charging arbitrary rates from customers. Now it remains to be seen how soon Excise Min Parsadi Lal Meena & Excise Commissioner Prakash Rajpurohit take strict action against the culprit officers.

पहले ही त्रैमासिक मे ग्रुप की दुकानों पर 4.75 करोड़ की गारंटी बकाया! जबकि पूरे जयपुर शहर मे 90 दुकानों पर कुल 7 करोड़ बकाया!!

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी प्रथम त्रिमाही के जारी आंकड़ो के अनुसार जयपुर शहर की 90 दुकानों से 6.99 करोड़ गारंटी के बकाया बताए गए है|जबकि अकेले पंजाब वाईन्स की दुकानों पर 4.75 की बकाया राशि का खुलासा विभाग के एक अधिकारी द्वारा किया गया|

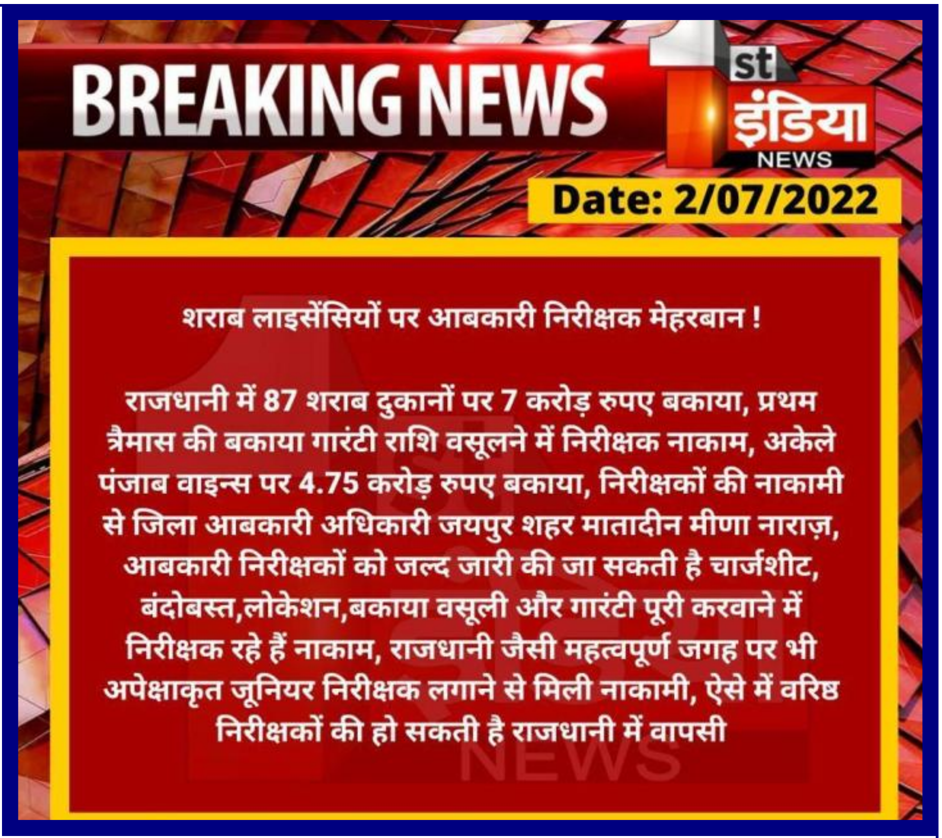

ग्रुप के सभी लाईसेंसियों के पते-ठिकाने पंजाब के!!सबसे बड़ा सवाल?डिफ़ाल्टर होने पर कैसे होगी इन लाईसेंसियों से बकाया की वसूली?

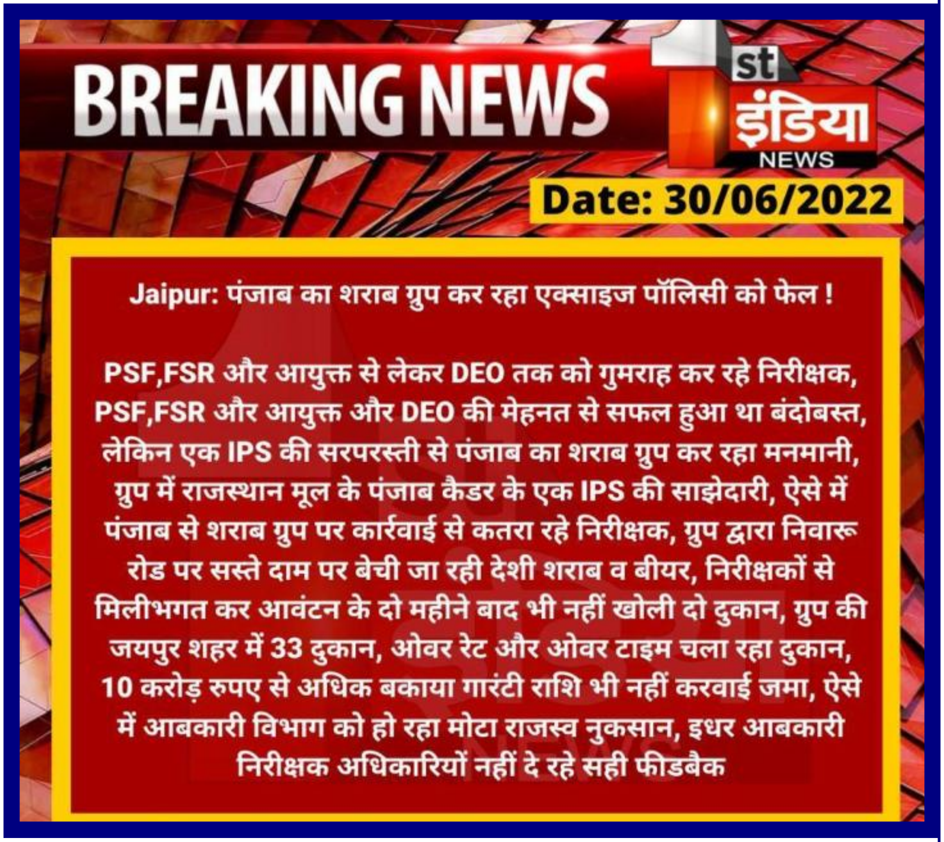

सूत्रो के अनुसार पंजाब वाईन्स द्वारा अब तक जयपुर शहर मे 33 दुकानों का संचालन किया जा रहा है,जिन्हे कुल 18 लाईसेंसियों के नाम से छुड़ायी गयी है|सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह सभी 18 लाईसेन्सी राजस्थान के ना होकर पंजाब के मूल निवासी है|सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भविष्य मे इनमे से कोई लाईसेंसी या सभी लाईसेन्सी डिफ़ोल्टर हो गए तो बकाया गारंटी की वसूली मे आबकारी अधिकारियों के मुंह से झाग आने तय है|

क्या इन 18 लाईसेंसियों के डिफोल्टर होने पर आबकारी विभाग, इनके पंजाब के पतो पर जाकर,इनसे रिकवरी कर पाएगा?

क्रम	लाईसेन्सी का नाम	पता
1	विनोद कुमार सेठी	वार्ड संख्या-7,मोहल्ला बानिया,फिल्लोर,जलंधर,पंजाब
2	राजीव खेड़ा	हाउस न. बी-2,416,छावनी मोहल्ला,लुधियाना,पंजाब
3	विजेश कुमार	मकान न. 195,ब्लॉक-12,करीमपुरा बाजार,वार्ड न 36,लुधियाना,पंजाब
4	वरुण बेदी	मकान न. 4147,सराभा नगर,नियर शिव मंदिर,वार्ड न 17,सरहन्द,फतेहगढ़,साहेब,पंजाब
5	चन्दन धवन	मकान न 2553,गली न 1,विष्णुपुरी जोधेवाला,लुधियाना,पंजाब
6	नीरज कपूर	मकान न. 4834,दुर्गापुरी,हैबोवाल कला,लुधियाना,पंजाब
7	दीपक शर्मा	मकान न. 34-956,चंद्र नगर,सिविल लाइंस,लुधियाना,पंजाब
8	विकास कपूर	मकान न. 4834,दुर्गापुरी,हैबोवाल कला,लुधियाना,पंजाब
9	रोहीन शाही	मकान न. 125,गली न.3,वार्ड न.23,उत्तम नगर,खन्ना,लुधियाना,पंजाब
10	मनप्रीत	मकान न.320/2,भगवानदास कॉलोनी,सलेम ताबड़ी,वार्ड न. 25,लुधियाना,पंजाब
11	अनिल कुमार	मकान न.बी-25/347/169-डी,न्यू करतार नगर,सलेमतावरी,लुधियाना,पंजाब
12	सागर	मकान न. 9-ए,स्ट्रीट न.6,न्यू बसंत विहार,गेरवाल स्टेट,कक्कोवाल रोड,लुधियाना,पंजाब
13	नवजोत सिंह	मकान न.721,एसटी न. 2,प्रीत नगर,डूंगरी बसंत एवेन्यू,लुधियाना,पंजाब
14	सौरभ कात्याल	मकान न. बी-34/807छोटी पुल्ली बेक साइड,बाँके बिहारी मंदिर,चंदेर नगर,लुधियाना,पंजाब
15	गुरप्रीत सिंह	मकान न. 578-5-बी,टैगोर कॉलोनी,लुधियाना,पंजाब
16	अशोक कुमार	निवासी कूकानेट,होशियारपुर,पंजाब
17	सुनील	मकान न.1362,गली न.3,नजदीक कृष्णा ज्वेलर्स,न्यू चंद्र नगर,लुधियाना पंजाब
18	अमनदीप	वार्ड न. 2,सर्राफा बाजार,अमलोह,फतेहगढ़ साहेब,पंजाब

फ़र्स्ट इंडिया द्वारा लगातार आबकारी विभाग को अपनी खबरों के माध्यम से पंजाब ग्रुप के इरादो से आगाह किया जा रहा है|

Excise Dept serves notices to 2112 defaulter licensees

Deadline of July 5, outstanding dues of more than ₹ 52 cr on radar

Nirmal Tiwari

Jaipur: The Excise Department has given the deadline of July 5 to 2112 licencees of the state who have not deposited the arrears of the guarantee amount in the first quarter of financial year.

Licencees have outstanding dues of more than Rs 52 crore in first quarter. Jaipur alone has an outstanding of Rs 7 crore, out of which Punjab Wines alone owes Rs 4.75 cr.

Situation is also not clear about names and addresses of some of defaulters, in such a situation, if some of these licencees are left, recovery of dues will become difficult.

Excise Commissioner Prakash Rajpurohit had issued an order on July 1 to all district excise officers to deposit outstanding amount by July 5. In fact, there are 34 excise districts in which 7,593 shops are operating. In first quarter for financial year 2022-23, a target of Rs 2191 cr was set as a guarantee amount, in contrast to this, dept made Rs 2369 cr. But the truth behind this record is shocking. 5481 liquor licencees have deposited more guarantee target. These licencees helped department.

GROUP FROM PUNJAB A FAVOURITE!

- Sources say the inspectors of department are kind to a group from Punjab. This group has not even started two shops, due to which the department is losing revenue. The group of Punjab is also doing illegal business of liquor through over rate and overtime tax, but the excise inspectors are shying away from action.
- Jodhpur Rs 4.22 crore, Alwar Rs 3.63 crore, Sri Ganganagar Rs 3.05 crore, Churu Rs 2.43 crore, Sikar Rs 2.11 crore and Jaipur Rural Rs 2.07 crore.

क्या आबकारी विभाग करवाएगा इस ग्रुप की सभी 33 दुकानों से संबन्धित 7 बिन्दुओं की सूचना?

हमारे द्वारा और फ़र्स्ट इंडिया द्वारा पूर्व मे भी आबकारी विभाग के आला अधिकारियों को पंजाब ग्रुप के इरादो से अवगत करवाया जा चुका है लेकिन विभाग के अधिकारी है कि इस बात को हल्के मे लेकर,बात को आई-गयी करने पर तुले है|पंजाब ग्रुप की सभी 33 कम्पोजीट दुकानों के संबंध मे हमारे द्वारा 33 सूचना आवेदनो के जरिये 7 बिन्दुओं की कतिपय सूचनाएँ मांगी गयी है,देखना यह है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर श्री मातादीन मीणा इन समस्त सूचना आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए सूचना उपलब्ध करवाते है या फिर ग्रुप के प्रभाव मे आकर,कतिपय सूचनाएँ देने से इंकार कर देते है|हमारे द्वारा निम्न 7 बिन्दुओं की सूचनायें आबकारी विभाग,जयपुर शहर से मांगी गयी है:-

1. आबकारी विभाग के जयपुर शहर सांगानेर के वार्ड संख्या .... मे पंजाब वाईन्स ग्रुप के लाईसेन्सी ....की .... पर अवस्थित कम्पोजीट शराब से संबन्धित सम्पूर्ण पत्रावली(मय नोटशीट,बोली दस्तावेज़,अवार्ड,चालान,लोकेशन संबंधी दस्तावेज़,नोटिस,आपसी पत्राचार आदि) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|
2. इस कम्पोजीट शराब की दुकान पर कार्यरत समस्त सेल्समेनो के स्वीकृत नौकरनामों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|
3. यदि आबकारी विभाग द्वारा इन सेल्समेनो का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया हो तो संबन्धित पुलिस वेरिफिकेशन की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|
4. 01/04/2022 से आज दिनांक 21/06/2022 तक संबन्धित आबकारी निरीक्षक द्वारा इस शराब की दुकान पर किए गए निरीक्षणों की जानकारी मय संबन्धित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|यदि इस कार्य को किसी रजिस्टर/दस्तावेज़/कंप्यूटर फाइल मे पृथक से अंकित किया जाता हो तो उक्त रजिस्टर/दस्तावेज़/कंप्यूटर फाइल की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|
5. इस दुकान के विरुद्ध दर्ज अभियोगों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|
6. इस दुकान के विरुद्ध यदि चालू वित्त वर्ष के जून 2022 की तिमाही तक जरूरी जमाओं का बकाया (अमानतराशी/फीस/धरोहर राशि/गारंटी) शेष हो तो उन बकाया राशि का ब्यौरा एवं उक्त बकाया राशि की वसूली के संबंध मे आबकारी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही/नोटिस/चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|
7. लाईसेन्सी .... के विरुद्ध पिछले वित्त वर्ष का कोई बकाया(अमानत राशी/फीस/धरोहर राशि/गारंटी)शेष हो तो उन बकाया राशि का ब्यौरा एवं उक्त बकाया राशि की वसूली के संबंध मे आबकारी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही/नोटिस/चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|

पंजाब ग्रुप से जुड़े सनसनीखेज खुलासे अगले अंको मे जारी....